

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 379/2022

अनवान :-

- 1 लालचन्द पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजैडडल्यू डबीलकलां त० टिब्बी ।
- 2 महेन्द्र पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजैडडल्यू डबीलकलां त० टिब्बी ।

वादीगण


बनाम


- 1 फुसाराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजैडडल्यू डबीलकलां तहसील टिब्बी ।
- 2 प्रमेश्वरी पत्नी फुसाराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजैडडल्यू डबीलकलां त० टिब्बी ।
- 3 कलावती पुत्री फुसाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी वार्ड 02, 4 सीवाईएम हनुमानगढ़ त० व जिला हनुमानगढ़ ।
- 4 सलोचना पुत्री फुसाराम पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी वार्ड 10 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 5 सीमा पुत्री फुसाराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी वार्ड 10 टिब्बी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी विरेन्द्र सिंह राठौड़ व महावीर वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 8 एम. जैड डबल्यू के जमाबन्दी सं० 2075 ता 78 के खाता सं० 73 / 68 में कुल 3.4660 है० कमाण्ड आराजी में 1/3 हिस्सा तथा चक 12 डीबीएल के खाता सं० 93 / 48 में कुल 4.731 है० कमाण्ड / अ०क० में प्रतिवादी सं० 1 की 1 / 3 हिस्सा आराजी में प्रतिवादी सं० 1 फुसाराम पुत्र गणपतराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त दोनों चकों की आराजी में वादीगण सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक ३१/०८/२०२२ मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़